(648)

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.3(1101)नविवि/ जयपुर, दिनांक

परिपत्र

27 AUG 2014

नगर विकास प्राधिकरणों एवं नगर विकास न्यासों की आवासीय योजनाओं में राजस्थान नगर सुधार न्यास शहरी (भूमि निष्पादन नियम) नियम–1974 के नियम–17 के अन्तर्गत आवंटित किये गये आवासों/भूखण्डों जिनकी सम्पूर्ण राशि आवंटियों द्वारा निर्धारित समय सीमा में जमा नहीं करवाये जाने से आवंटन स्वतः ही निरस्त हो गया है, ऐसे प्रकरणों में स्वतः निरस्त आवासों/भूखण्डों की बकाया राशि जमा कर आवंटन बहाल किये जाने हेतु निश्चित अवधि के पश्चात् प्रस्ताव वर्तमान में राज्य सरकार को भिजवाये जाते है।

अतः राज्य सरकार के सक्षम स्तर से लिये गये निर्णयानुसार कमजोर व अल्प आय वर्ग के व्यक्तियों को विकास प्राधिकरणों एवं नगर विकास न्यासों की आवास योजनाओं में से दिनांक 01.01.06 के पश्चात् आवंटित किये गये आवासों/भूखण्डों जिनमें आवंटियों ने पूर्ण राशि जमा नहीं करवाई है उनको रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से नोटिस देकर तथा सामान्य अपील अखबार के माध्यम से जारी कर एक महीने के भीतर ~~निर्धारित राशि~~/ब्याज/शास्ति जमा की जावे। राशि जमा कर भूखण्डों के आवंटन को बहाल किये जाने की शक्तियां जो सरकार के पास निहित थीं, वह एक बार के लिए (on a one time basis) विकास प्राधिकरणों व नगर विकास न्यासों को दी जाती है।

यदि नोटिस देने/अखबार में सामान्य अपील जारी करने के एक माह के भीतर (संबंधित को सूचना प्राप्त होने के एक माह के भीतर) यदि आवंटी अपने आवंटित आवासों/भूखण्डों की राशि जमा करवाकर नियमितिकरण हेतु आवेदन नहीं करता है तो ऐसे सभी आवासों/भूखण्डों का कब्जा प्राप्त कर नीलामी के जरिये निस्तारण करावें।

पुनश्चः शक्तियों का यह प्रत्यायोजन केवल एकबारगी आधार पर किया जा रहा है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव–तृतीय

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:–

1. सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
3. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण।
4. संयुक्त शासन सचिव–प्रथम, नविवि, जयपुर।
5. उप शासन सचिव–द्वितीय नविवि, जयपुर।
6. सचिव, समस्त नगर विकास न्यास, राजस्थान।
7. वरिष्ठ उप शासन सचिव नविवि जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–तृतीय